JALAUN POLICE

दिनांक – 04.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 02 अभियुक्तों को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्तगण 1. आकाश कुमार पुत्र लाखन सिंह 2. शिवम पुत्र रामकेश मंसूरी समस्त निवासीगण ग्राम नवलपुरा कोतवाली कालपी जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द में दिनांक 15.06.2023 को मु0अ0सं0 123/2023 (वाद संख्या- 113/2023) धारा 363/366/376(3)504/506 भादवि व ¾(2) व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 30.07.2023 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.12.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अभियुक्त आकाश को 05 वर्ष का कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त शिवम उपरोक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।